rajsevak.com

Compilation and presentation by Pravesh Kumar Sharma (AAO-I)

उपार्जित अवकाश – संकलित नोट्स

उपार्जित अवकाश के बारे सामान्य जानकारी एक राज्य कार्मिक को विभिन्न स्त्रोतों से सहज रूप से उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से उपार्जित अवकाश से सम्बन्धित सेवा नियम एवं इसमें समय–समय पर किये गये परिवर्तन एवं उनके प्रभाव कों निम्नांकित प्रारूप में प्रस्तुत किया जा रहा है :–

A	उपार्जित अवकाश की देयता/अर्जन		2-5
	I	कर्तव्य पर व्यतीत समयावधि के आधार पर	
	II	कार्यग्रहण काल का उपभोग नहीं करने पर अर्जित उपार्जित अवकाश	
	III	विश्रामकाल का उपभोग नहीं करने पर देय आनुपातिक उपार्जित अवकाश	
B	असाधारण अवकाश के उपभोग का उपार्जित अवकाश पर प्रभाव		6
C	उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान		7-9
	IV	सेवाकाल के दौरान नकद भुगतान [91(A)(1)(i)]	
	V	सेवा समाप्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान [91(B)(1)(i)]	
D	उपार्जित अवकाश की स्वीकृति से सम्बद्ध नियम		10
E	उपार्जित अवकाश से सम्बद्ध अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु		12
F	वित विभाग की वेबसाईट पर उपार्जित अवकाश से सम्बद्ध उपलब्ध अधिसूचना/परिपत्र/आदेश		13

Table-A	उपार्जित अवकाश की मासिक/वार्षिक देयता	2
Table-B	उपार्जित अवकाश की अधिकतम सीमा	4
Table-C	उपार्जित अवकाश की अधिकतम सीमा का अवकाश लेखा	5
Table-D	असाधारण अवकाश का उपार्जित अवकाश पर प्रभाव की अधिकतम सीमा	6
Table-E	**RSR-II Appendix-IX (Item No 22**	11
Table-F	**List of important notification/circular/order on PL**	13

(संकलित सामग्री के प्रस्तुतीकरण में कोई तत्थात्मक त्रुटि/सुझाव, अवलोकित होते है तो उसके बारे में praveshbkn@gamil.com पर ई–मेल करावें, ताकि इसको अद्यतन किया जावे और यह सभी के लिये उपयोगी हो सके)

(A) उपार्जित अवकाश की देयता/अर्जन

एक राजकीय कार्मिक को उपार्जित अवकाश की देयता/अर्जन निम्नाकिंत रूपों में हो सकती है :–

I	कर्त्तव्य पर व्यतीत समयावधि के आधार पर
II	कार्यग्रहण काल का उपभोग नहीं करने पर अर्जित उपार्जित अवकाश
III	विश्रामकाल का उपभोग नहीं करने पर देय आनुपातिक उपार्जित अवकाश

I एवं III का समेकित विवेचन

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 91 एवं 92 के तहत एक राजकीय कर्मचारी को निम्नानुसार मासिक/ वार्षिक उपार्जित अवकाश एक कलैण्डर वर्ष (प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी से प्रारम्भ होकर उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि) में देय होगा, जिसको **Table-A** से दर्शाया गया है:–

Table-A (उपार्जित अवकाश की मासिक/वार्षिक देयता)

सम्बद्ध विभाग के कार्मिक	*31–12–1982 तक		दिनांक 01–01–1983 से			
	स्थायी कार्मिक	अस्थायी कार्मिक	एक कलैण्डर वर्ष की वार्षिक सीमा	** मासिक सीमा	***प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में अवकाश लेखे में जोड़े जाने वाले दिन	नियम/ नोट
न्यायिक विभाग	1/33	1/66	12	1	1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 6 दिन	92(C)(1) नोट–1
राजस्थान सशस्त्र पुलिस	1/8	1/16	42	3.5	1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 21दिन	91(2)(a)(i) नोट–2
विश्रामकालीन विभाग	3	0	15	1.25	प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद 15 दिन	92(ii) नोट–3
अन्य/सिविल विभाग	1/11	1/22	30	2.5	1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 15 दिन	91(2)(a)(i)

*	कर्त्तव्य पर व्यतीत समय के अनुसार (इसमें विभिन्न समयावधियों में अलग–अलग स्थितियों में जारी शर्तों के अधीन इसकी गणना की जाती थी । **[F1(21) G.A.A. (GR-2) 64 dated 08-05-1964 w.e.f. 01-01-1964], (Added by deleting the existing second proviso by FD order No. 4492/57, F.1(40)FD (A) Rules-66 dated 18-7-1957)**
**	प्रत्येक माह की गणना प्रत्येक पूर्ण माह के आधार पर की जानी है।
***	महत्वपूर्ण है कि विश्रामकालीन विभाग के कार्मिकों के अवकाश लेखा में उपार्जित अवकाश को कलैण्डर वर्ष की समाप्ति पर जोड़ा जाता है, अन्य समस्त के लिये इसका इन्द्राज कलैण्डर वर्ष की समयावधि में अग्रिम रूप से किया जाता है।

नोट–1 (न्यायिक विभाग)		
◆	दीवानी/सिविल न्यायालय के कार्मिकों को एक कलैण्डर वर्ष में 12 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा जो उसके अवकाश खाते में 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 6 की संख्या में अग्रिम रूप से जमा किया जावेगा। चाहे वर्ष सम हो या विषम हो।	91(c) (iv)
◆	जिस कलैण्डर वर्ष में न्यायालय कार्मिकों को विश्रामकाल का उपभोग करने से रोक दिया जावे तो उस वर्ष कुल विश्रामकाल की अवधि के एवज में 18 दिन के अनुपात में उपार्जिक अवकाश देय माने जावेंगे।	91(c) (v)
◆	यदि कार्मिक की कलैण्डर वर्ष के दौरान त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, सेवानिवृति, सेवा में रहने मृत्यु, अशक्ता या प्रतिकार के आधार पर सेवा निवृति होती है तो उसे किसी भी घटना के घटने माह की अंतिम तिथि तक के पूर्ण प्रत्येक माह के लिए 1 दिन के हिसाब से गणना कर अवकाश देय होगा, शेष अवकाश (अधिकतम 300 दिन की सीमा) का कार्मिक को नकद भुगतान होगा।	
नोट–2 (राजस्थान सशस्त्र पुलिस)		
◆	वित्त विभाग की अधिसूचना एफ1(49)विवि/ग्रुप–2 दिनांक 10–12–1985 से पुनः परिभाषित किया गया ।	
◆	भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजस्थान सशस्त्र पुलिस के कार्मिक के रूप में इस प्रयोजनार्थ समाहित नहीं होते है।	
◆	यदि कार्मिक की कलैण्डर वर्ष के दौरान त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, सेवानिवृति, सेवा में रहने मृत्यु, अशक्ता या प्रतिकार के आधार पर सेवा निवृति होती है तो उसे किसी भी घटना घटने के माह की अंतिम तिथि तक के पूर्ण प्रत्येक माह के लिए **1.25** दिन के हिसाब से गणना कर अवकाश देय होगा, शेष अवकाश (अधिकतम 300 दिन की सीमा) का कार्मिक को नकद भुगतान होगा ।	
नोट–3 (विश्रामकालीन विभाग)		
◆	दिनांक 01–01–1983 से 31–12–1993 तक विश्रामकालीन विभागों में कार्यरत स्थायी/अस्थायी शैक्षिक कार्य करने वाले कार्मिकों (Teaching staff in Schools, Polytechnics, Arts and Science,Colleges) को यह अवकाश 15 (इससे पूर्व 3 दिन) जोकि **8:7** के अनुपात में देय था। 8 दिन का अवकाश उपभोग नहीं करने पर आगे शेष में जोड़ दिया जाता था तथा 7 दिन के अवकाश का यदि उपभोग नहीं किया जाता था तो वह लोप(जब्त) होता जाता था। दिनांक 01–01–1994 से यह प्रावधान विलोपित कर यह पूर्ण 15 दिन का कर दिया गया । (वित्त विभाग की अधिसूचना **F.1(49)FD(Gr.2)82 Dated 17.03.1994** से प्रतिस्थापित)	92(a)(ii)
◆	इस केटेगरी के कार्मिकों को यदि विश्राम काल में रोका जाता है तो उस वर्ष उन्हें अन्य समान्य श्रेणी का कार्मिक मानकर **3:1** के अनुपात में उपार्जित अवकाश देय होगा जोकि अधिकतम सीमा 300 से अधिक नहीं होगी। उदाहरण के लिये पूर्ण विश्रामकाल 45 दिन का है और कार्मिक को पूर्ण अवधि के लिये रोका जाता है तो उसके अवकाश खाते में 15 दिनों का उपार्जित अवकाश विश्राम काल समाप्त होने पर जोड़ा जावेगा।	92(b)

♦	यदि कार्मिक की कलैण्डर वर्ष के दौरान त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, सेवानिवृति, सेवा में रहने मृत्यु, अशक्ता या प्रतिकार के आधार पर सेवा निवृति होती है तो उसे किसी भी घटना घटने के माह की अंतिम तिथि तक के पूर्ण प्रत्येक माह के लिए 2/3 दिन के हिसाब से गणना कर अवकाश देय होगा, शेष अवकाश (अधिकतम 300 दिन की सीमा) का कार्मिक को नकद भुगतान होगा ।	
नोट–4 (अन्य या सिविल विभाग)		
♦	यदि कार्मिक की कलैण्डर वर्ष के दौरान त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, सेवानिवृति, सेवा में रहने मृत्यु, अशक्ता या प्रतिकार के आधार पर सेवा निवृति होती है तो उसे किसी भी घटना घटने के माह की अंतिम तिथि तक के पूर्ण प्रत्येक माह के लिए 2/3 दिन के हिसाब से गणना कर अवकाश देय होगा, शेष अवकाश (अधिकतम 300 दिन की सीमा) का कार्मिक को नकद भुगतान होगा।	

Table-A में उपार्जित अवकाश की अधिकतम सीमा का उल्लेख किया गया है जोकि वर्तमान में समस्त कार्मिकों के लिये 300 है जोकि अलग–अलग समयावधियों में अलग–अलग रही है, जिसको **Table-B** से दर्शाया गया है–

Table-B (उपार्जित अवकाश की अधिकतम सीमा)

उपार्जित अवकाश की अधिकतम देयता – नियम 91(1)(c)				
प्रभावी अवधि		अधिकतम सीमा	वित्त विभाग की अधिसूचना	रिमार्क
01/04/1951	31/12/1991	180		
01/01/1992	31/12/1997	240	F.1(49)FD(Gr.2)82 dated 28-12-1991	
01/01/1998	31/12/2012	300	F.1(5)FD/Rules/96 dated 02-04-1998	
01/01/2013		315	F. 1(4)FD/Rules/98 date 12-12-2012	नोट–1
01-07-2017		315	F. 1(12)FD/Rules/2005 date 02-01-2018	न्यायिक विभाग हेतु

नोट–1 *(नियम 91(2)(a)(i) के नीचे एक परन्तुक जोड़ा गया)

*जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी के अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश दिसम्बर या जून के अन्तिम दिन 300 दिन या उससे कम किन्तु निम्नानुसार (Table-C) दिनों से अधिक हों, वहां देय अवकाश के उपबंधों के अनुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15/21/6 दिनों को उपार्जित अवकाश अग्रिम रूप में जमा किया जायेगा तथा ऐसे अग्रिम जमा उपार्जित अवकाश का लेखा पृथक रूप से रखा जायेगा और सरकारी कार्मिक द्वारा अर्द्ध–वर्ष के दौरान लिया गया उपार्जित अवकाश पहले उस अर्द्ध–वर्ष के दौरान समायोजित किया जायेगा और अतिशेष यदि कोई हो, अर्द्ध–वर्ष के अन्त में अवकाश लेखें में इस शर्त के अध्यधीन जमा किया जायेगा कि ऐसे अग्रिम जमा उपार्जित अवकाश का अतिशेष और पहले की जमा उपार्जित अवकाश मिलकर 300 की अधिकतम सीमा से अधिक न हो :–

rajsevak.com

rajsevak.com

Table-C (उपार्जित अवकाश की अधिकतम सीमा का अवकाश लेखा)

सम्बद्ध विभाग के कार्मिक	उपार्जित अवकाश की गणना में अन्तिम माह	उपार्जित अवकाश की सीमा 300 से अधिक लेकिन निम्नांकित दिन से कम होना आवश्यक है	कॉलम संख्या 2 में अंकित माह का आगामी माह एवं उसमें जोड़ी जाने योग्य उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	
न्यायिक	31 दिसम्बर	294	1 जनवरी	6
	30 जून	276	1 जुलाई	6
राजस्थान सशस्त्र पुलिस (R.A.C)	31 दिसम्बर एवं 30 जून	279	1 जनवरी एवं 1 जुलाई	15
विश्रामकालीन		285		
अन्य				

II कार्यग्रहण काल का उपभोग नहीं करने पर अर्जित उपार्जित अवकाश **[91(2)(a)(ii)]**

1. एक राजकीय कार्मिक का स्थानान्तरण (मुख्यालय परिवर्तन) लोक हित में होता है तो उसे राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम 1981 के नियम 5 के अनुसार नये मुख्यालय पर कार्यग्रहण करने हेतु अधिकतम 15 दिन का समय मिलता है।
2. आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे कार्मिक का स्थानान्तरण किसी दूसरे स्थान पर कर दिये जाने के कारण उसका निवास बदल जाता है तो उसे चार दिन का कार्यग्रहण मिलेगा।
3. उपर्युक्त बिन्दु 1 व 2 के परिपेक्ष्य में कार्मिक पदग्रहण में पूरे दिन नहीं लगा कर कुछ दिन पूर्व ही कार्यग्रहण कर लेता है तो शेष बचे हुए दिन उसके उपार्जित अवकाश में जोड़ दिये जावेंगे जोकि अधिकतम सीमा 300 तक ही रहेंगे । **[(नियम 6(1)]**

[91(2)(a)(ii) Sub-clause (a) renumbered as (a) (i) and sub-clause (ii) Inserted vide F.D. Notification No. F.l(49) FD/Gr-2/82, Dated 10-12-85]

Distance between the old headquarters and the new headquarters.	Joining Time admissible	Joining time admissible where the transfer necessarily involves continuous travel by road for more than 200 km.
(in KM)	(In days)	(In days)
Less than 1000	10	12
1000-2000	12	15
More than 2000	15	15

(B) असाधारण अवकाश के उपभोग का उपार्जित अवकाश पर प्रभाव

यदि कोई राजकीय कार्मिक सेवा काल के किसी छःमाही (कलैण्डर वर्ष का एक भाग) में असाधारण अवकाश लेता है तो उसके उपार्जित अवकाश खाते में प्रत्येक 10 दिन के लिये एक दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा एवं नियम को **Table-D** से प्रदर्शित है :–

Table-D (असाधारण अवकाश का उपार्जित अवकाश पर प्रभाव की अधिकतम सीमा)

सम्बद्ध विभाग के कार्मिक	एक कलैण्डर वर्ष का एक भाग	एक छःमाही में अधिकतम सीमा	नियम
राजस्थान सशस्त्र पुलिस	one tenth of the period of extraordinary leave (i.e. One PL deduct for every 10 days)	21	91(2)(b)
अन्य / सिविल विभाग		15	
न्यायिक विभाग		6	92(c)(1)(iii)
इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बिन्दु :–			
1	5 से 10 दिन तक के असाधारण अवकाश के उपभोग पर 1 दिन का उपार्जित कम किया जायेगा एवं यदि यह संख्या 5 दिन से कम है तो उपार्जित अवकाश लेख में कोई कटौती नहीं की जायेगी।		
2	इस संबंध में 15 जुलाई 2020 को वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार असाधारण अवकाश की अवधि 10 दिन से कम होने अथवा 10 के गुणांक में नहीं होने पर 5 से 10 दिन तक के असाधारण अवकाश के लिए 1 उपार्जित अवकाश कम होगा तथा 5 से कम या 4 दिन के असाधारण अवकाश की स्थिति में उपार्जित अवकाश कम नहीं होंगे तथा असाधारण अवकाश पर रहने पर अर्द्ध वेतन अवकाश पर कोई असर नहीं पड़ेगा।		

(C) उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान

एक राजकीय कार्मिक को उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान सामान्यतः दो स्थितियों में देय होता है :–

IV	सेवाकाल के दौरान नकद भुगतान [91(A)(1)(i)]
V	सेवा समाप्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान [91(B)(1)(i)]

IV – सेवाकाल के दौरान नकद भुगतान

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विवेचन निम्नानुसार है:–

1 राज्य कार्मिक जो उपार्जित अवकाश के उपभोग का हकदार, वह 1 अप्रेल से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष में अधिकतम 15 दिनों तक का उपार्जित अवकाश एक बार में समर्पित करके उसके बदले में उतने दिनों का नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है।

2 वर्तमान में समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या 15 है जोकि पूर्व में दो वर्षों के एक ब्लॉक अवधि के आधार पर 30 दिनों की थी। इसका विवरण निम्नानुसार है:–

Block/Year	Max Days	Effective date	FD Notification No.
* 2 Year Block	* * 30	01/01/1983	F.1(49)FD(Gr.2)/82, dated 22-02-1983
Each Financial Year	15	18/06/2010	F.1 (12)FD(Rules)/2005, dated 18-06-2010

*** first block commencing from 1-4-1982, be granted leave encashment equal to the period of leave surrendered for permanent employee**
[Inserted FD Notification, dated 22.2.1983 in place of following Government Rajasthan's Decision-Rule 91 Substituted vide FD Notification No.F1(58)-A(Rules)62 dated 21-11-1962 Effective from 1- 10-1962]

**** Inserted vide F.D. Notification No. F.l (66) FD (Gr.2)/85, dated 30-12-1985 effective from 1-1-1983.**

ब्लॉक वर्ष के आधार पर अवकाश नकदीकरण लाभ एक कार्यालय या विभाग में सरकारी कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत की सीमा ब्लॉक वर्ष के प्रथम वर्ष में थी और उसी के अगले वित्तीय वर्ष में ब्लॉक वर्ष की संख्या के बारे में प्रतिबंध नहीं था ।
(Substituted vide F.D. Notification No. F.l(49)FD(Gr.2)/82,dated 28-1-1986)

3 एक अस्थायी राज्य कार्मिक को उपार्जित अवकाश के बदले में नगद भुगतान तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक उसने एक वर्ष की सेवा पूर्ण न करली हो।

4 इस प्रकार से समर्पित अवकाश को किसी अवधि विशेष से नहीं सन्दर्भित किया जावेगा अपितु इसको उपार्जित अवकाश समर्पित करने के आवेदन पत्र की दिनांक को कार्मिक के उपार्जित अवकाश के लेखे के शेष में कम (डेबिट) किया जावेगा ।

5 जो प्राधिकारी उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम हो वहीं उपार्जित अवकाश समर्पित करने की स्वीकृति देने तथा उसके एवज में नकद भुगतान की स्वीकृति देने के लिये सक्षम होगा ।

6	समर्पित अवकाश के एवज में अवकाश वेतन की राशि मय महंगाई भत्ते के नियम 97 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हीं दरों के आधार पर होगी, जो एक राज्य कार्मिक अवकाश स्वीकृत होने के तुरन्त पूर्व आहरित कर रहा था। अवकाश वेतन एवं महंगाई भत्ता की फलावट के प्रयोजनार्थ माह का अभिप्राय 30 दिन से होगा।
7	राज्य सरकार द्वारा समर्पित अवकाश की सुविधा पर समय–समय पर रोक लगाई जाती रही है । ➢ इस प्रकार की रोक सर्वप्रथम 1998–2000 के ब्लॉक पर (वित्त विभाग के आदेश एफ1(4)एफडी/नियम/98 दिनांक 30–10–1999) लगाई गई थी । इस सम्बन्ध में तत्समय अन्य आदेश/संशोधन आदेश भी प्रभावी रहे थे तथा आदेश दिनांक 18–03–2002 से आगामी आदेश तक पूर्ण रोक लगाई दी गई। जिसको वित्त विभाग के आदेश No. F.1(12)FD(Rules)/2005 दिनांक 03–04–2008 से हटाया गया तथा इसी आदेश से समर्पित अवकाश से सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती नहीं करने हेतु लिखा गया था। ➢ वित्त विभाग के परिपत्र प9(1)वित्त–1(1)आ.व्यय/2020 दिनांक 03–09–20 के बिन्दु संख्या 1(iii) से उपार्जित अवकाश की नई स्वीकृतियों पर जारी करने पर रोक लगाई थी, जिसको वित्त विभाग के परिपत्र प9(1)वित्त/नियम/2015 दिनांक 19–03–2021 से तुरन्त प्रभाव से हटाया गया था ।

V सेवा समाप्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विवेचन निम्नानुसार है:–

1	➢ एक राज्य कार्मिक को अधिवार्षिकी, असमर्थता, क्षतिपूरक तथा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 एवं 53 के तहत सेवानिवृत किये जाने पर, सेवानिवृति के दिन उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में अवशेष (अनुपयोजित) अवकाश के एवज में (अधिकतम 300 दिनों की सीमा के तहत) एकमुश्त [91(B)(2)] तथा एक समय, सेवानिवृति पर निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा:–	91(B)(1) to (4)]
	$\text{नकद भुगतान} = \frac{\text{सेवानिवृति के दिन वेतन की दर तथा उस पर उस दिन प्रभावी दरों के आधार पर महँगाई भता}}{30} \times \text{सेवानिवृति के समय अनुपयोजित उपार्जित अवकाश की संख्या अधिकतम 300 दिन}$	91(B)(4)
	➢ नकद भुगतान की गणना अवकाश वेतन की तरह की जायेगी, इसमें महँगाई भत्ते के अलावा अन्य किसी प्रकार का भत्ता समाहित नहीं होगा । ➢ वर्तमान में अधिकतम दिनों की संख्या 300 है। इससे पूर्व की सीमा तालिका–अ से प्रदर्शित है।	91(B)(3)

2	सेवानिवृत पर उपार्जित अवकाश का शेष की गणना में आधे से कम दिन को शून्य तथा आधे या अधिक को 1 दिन माना जायेगा। **(if there is any fraction of day in the unutilised privilege leave at the time of retirement then the fraction of a day below half should be ignored and fraction half or more should be reckoned as a day.)**	**FD order No. F.I(12) FD/Rules/2005 dated 17-11-2014**
3	<u>राजकीय कार्मिक के सेवानिवृत के समय विभागीय/फौजदारी प्रकरण लम्बित होने पर अवकाश नकदीकरण</u> ➢ सेवानिवृति पर अनुपयोजित अवकाश के नकदीकरण का लाभ ऐसे राज्य कार्मिक को देय नहीं है जोकि राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत शास्ति के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया है। ➢ सेवानिवृति के समय कार्मिक के विरूद्व सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जाँच या फौजदारी प्रकरण विचाराधीन हो तो ऐसे मामलों में बकाया उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण का भुगतान केवल तभी अनुज्ञेय होगा जब विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण पर दण्ड से पूर्णत बरी हो जायेगा । ➢ वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13–03–2020 के सम्बन्ध में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 91(B)(1) के तहत सेवानिवृति पर शेष रहे उपार्जित अवकाश का भुगतान उन्हीं प्रकरणों में देय नहीं होगा जहाँ कार्मिक से विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही के समापन पर कतिपय राशि वसूली की संभावना हो। शेष प्रकरणों में उपार्जित अवकाश का भुगतान किया जा सकेगा।	**F.D. Notification No.F.1(5)FD/ Rules/96, dated20-08-2001** **FD order No. F.1(9)FD/Rules /2015] dated 13-03-2020** प.1(9)वित्त/ नियम/2015 दिनांक 21–01–2022
4	वर्तमान में अनुपयोजित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान की प्रक्रिया पे–मैनेजर पर कार्मिक के पीपीओ नम्बर को फेच आई.पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से पूल बजट से बजट मद 2071–पेंशन तथा सेवानिवृति हित लाभ, 01–सिविल, 115–छुट्टी नकदीकरण हित लाभ पर प्रभृत होगा	
5	कार्यालय अध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, इस प्रकार से अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान की स्वीकृति देने हेतु सक्षम माने जायेंगे जो सम्बद्व कार्मिक से आवेदन पत्र प्राप्त करने पर सेवानिवृति की दिनांक से 1 माह पूर्व अग्रिम में नकद भुगतान के लिये आदेश जारी कर सकेगा लेकिन उसका भुगतान सेवानिवृति दिनांक के पश्चात ही किया जायेगा। (91(B)(7) के नीचे दिया गया राज. सरकार का निर्णय)	**Inserted vide FD Notification No.F.1(4)FD/Rules/98 dated 23/27.3.1999**
6	➢ नियम 91C(a) के अनुसार कार्मिक की मृत्यु होने पर मृत्यु दिनांक तक अवशेष उपार्जित अवकाश का एक मुश्त भुगतान कार्मिक के विधिक उत्तराधिकारी (पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री, जैसी भी स्थिति हो) को किया जायेगा। इस हेतु नगद भुगतान की विधि नियम 91(B)(4) के अनुसार ही रहेगी। ➢ मृतक कार्मिक को परिवार पैंशन स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी नियम 91C (b) के तहत दी जाने वाली एकमुश्त राशि स्वीकृत कर सकता है।	**Inserted vide FD Notification No. F. 1 (5)FD (Rules)//96 dated 29.10.1997 w.e.f. 01.10.1996,**

(D) उपार्जित अवकाश की स्वीकृति से सम्बद्ध नियम

एक राजकीय कार्मिक को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियमों में दिये गये उपनियमों का विवेचन निम्नानुसार किया जा सकता है :–

❖ उपार्जित अवकाश की स्वीकृति की अवधि एवं आधार		
1	राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 59 के प्रावधानों के मध्यनजर एक राज्य कार्मिक को एक समय में अधिकतम 120 दिन तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।	91(3)
2	यदि यह अवकाश किसी मान्यता–प्राप्त सेनिटोरियम, अस्पताल में टी.बी., केन्सर रोग, कोढ़ अथवा मानसिक रोग (T. B., leprosy or cancer or a mental disease in a recognized Sanitoriurn/Hospital) के निदान की चिकित्सा के लिये आवेदित किया जाता है तो एक राज्य कार्मिक को एक समय में उपार्जित अवकाश की [a]अधिकतम सीमा तक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।	[a](वर्तमान में 300 है तथा अधिक विवरण हेतु तालिका–अ से अवलोकीय)
3	उपार्जित अवकाश निजी कार्य, अस्वस्थता तथा सेवावृद्धि की अवधि में अर्जित अवकाश व सेवानिवृति से पूर्व देय अस्वीकृत अवकाश दोनों मिलाकर सेवावृद्धि की समाप्ति पर स्वीकृत किये जा सकेंगे।	
❖ उपार्जित अवकाश की स्वीकृति की हेतु सक्षम प्राधिकारी		
1	उपार्जित अवकाश स्वीकृत की शक्तियों का उल्लेख राजस्थान सेवा नियम 1951 के भाग द्वितीय में किया गया है। (यह उपबंध अन्य समस्त अवकाशों के लिये प्रभावी है)	Item No 22 of RSR-II, Appendix-IX
2	बिन्दु 1 में उल्लेखित अनुसूची में विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों (यथा राजपत्रित/अधीनस्थ/मंत्रालियक/चतुर्थ श्रेणी) के लिये प्रदृत शक्तियों का उल्लेख है जोकि उपार्जित अवकाश स्वीकृति की अवधि एवं आधार जिसका उल्लेख नियम 91(3) में किया गया है के अधीन रहेगी।	
3	अनुसूची –IX को सुविधा एवं विश्लेषण के दृष्टिकोण से Table-E से दर्शाया जा रहा है–	
4	कोषालय में कार्यरत बीमा विभाग के कार्मिकों को 2 माहों तक के उपार्जित अवकाश सम्बद्ध कोषाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे।	

Table-E (RSR-II Appendix-IX (Item No 22)

Power to grant leave of all kinds except study leave	Nature of Power				
	Gazetted officers		Subordinate Services	Ministerial Services.	Class IV servant.
	Whose no substitute is required.	Where substitute is needed.			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Authority to which the power is delegated					
Admn. Deptt.	Full powers	Full powers.			
Head/Addl. Head of Deptt.	(a) Full powers for Gazetted Officers for which he is authorised to make substantive appointment.	(a) Full powers for which he is authorised to make substantive appointment	Full powers for members of staff working under his control	Full powers.	Full powers.
	(b) Upto 4 months for other officers working under his control.	(b) Upto 4 months for Gazetted officers working under his control.			
Extent of power delegated					
Joint/Dy.Head of Deptt.	Upto 4 months for officers working under him.	Upto 2 months for Gazetted officers working under his control provided the appointment of substitute will be subject to approval of the competent authroity.	Upto 4 months for staff working under his control.		Full powers.
Distt. Officers Head of offices			Upto 4 months for all members of staff		Full powers.

(E) उपार्जित अवकाश से सम्बद्ध अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

1. एक कार्मिक पर प्रभावी अवकाश सम्बन्धी सामान्य नियम/उपनियम जोकि राजस्थान सेवा नियम 1951 के भाग प्रथम के नियम 57 से 78 में उल्लेखित है, उपार्जित अवकाश पर भी समान रूप से प्रभावी है ।
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त उपार्जित अवकाश से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य/बिन्दओं का विवेचन निम्नानुसार हैः–

1	बिन्दु	विवेचन(सम्बद्ध नियम)
1	अन्य अवकाशों के साथ देयता/ संयोजन	आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य समस्त प्रकार के अवकाशों के साथ निरन्तरता में उपार्जित अवकाश की अधिकतम देय सीमा के तहत स्वीकृत हो सकता है या इसको संयोजित किया जा सकता है। **[Rule 88]**
2	परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणर्थियों को उपार्जित अवकाश की देयता	परीवीक्षा काल में उपार्जित अवकाश देय नहीं होता है। **Rule 122A [FD Notification No. F. 1 (6)FD/Rules/2011 dated 15-02-2012]**
3	उपार्जित अवकाश का स्वरूप बदलना	इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं के अध्यधीन उपार्जित अवकाश का स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता हैः– **i.** कार्मिक के आवेदन (अवकाश की समाप्ति के तीन माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त हो गया हो) **ii.** दूसरे प्रकार का अवकाश भी पूर्व में स्वीकृत अवकाश के समय शेष एवं देय था । **iii.** ऐसा करने से अधिक भुगतान की वसूली होती है या देयता बनती है तो उसकी वसूली/भुगतान किया जायेगा। **{Rule 59 (point no 3 of decision of Govtt of Rajasthan) [Inserted vide F.D. Order No. F 1(25) FD (Gr.-2)/76 dated 14-5-1976.]}**
4	उपार्जित अवकाश का अन्य अवकाश से समायोजन	अध्ययन अवकाश से उपार्जित अवकाश का समायोजन किया जा सकता है।
5	उपार्जित अवकाश का पैंशन पर प्रभाव	एक कार्मिक को देय उपार्जित अवकाश की अवधि तक पैंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात यह अवधि पैशनयोग्य अवधि में मानी जावेगी।
6	अवकाश का आवेदन	उपार्जित अवकाश जी.ए. 45 में उस अधिकारी को प्रस्तुत किया जावे जिसको मूल अवकाश स्वीकृत करने एवं उसमें वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार हो ।

rajsevak.com

(F) वित विभाग की वेबसाईट पर उपार्जित अवकाश से सम्बद्ध उपलब्ध अधिसूचना/परिपत्र/आदेश

उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में वित्त विभाग की बेवसाईट पर उपलब्ध अधिसूचना/परिपत्र/आदेश आदि के संकलन को **Table-F** से प्रदर्शित किया जा रहा है :–

Table-F (List of important notification/circular/order on PL)

Subject	Order Date
Payment against encashment of surrendered Privilege Leave to State Government employee for the block year 1994-96	18-Apr-94
Encashment of Privilege Leave	20-Apr-96
Encashment of Privilege Leave	20-Apr-96
Encashment of Privilege Leave	04-Apr-98
Grant of Leave Encashment benefit for the block years 1998-2000 (1.4.1998 to 31.3.2000)	30-Oct-99
Grant of Leave Encashment benefit for the block year 1998-2000 (01.04.1998 to 31.03.2000)	11-Feb-00
Grant of leave encashment benefit for the Block Years 2000-2002	01-Apr-00
Amendment in Rajasthan Service Rules, 1951 [(change in rule Rule 91B(1)]	20-08-2001
Leave Encashment benefit to Government servants while in service	18-Mar-02
Leave encashment benefit to Government servants while in service.	03-Apr-08
Leave encashment benefit to Government servants while in service.	03-Apr-08
Leave encashment benefit to Government servants while in service.	06-Feb-09
Leave encashment benefit to Government servants while in service.	06-Feb-09
Amendment in Rajasthan Service Rules, 1951	18-Jun-10
Regularisation of Work Charged Employees	24-Mar-11
Amendment in Rajasthan Service Rules, 1951-Volume-I Part A.	12-Dec-12
Treatment of fraction in the privilege leave at the time of retirement	17-Nov-14
Amendment in RSR Rule 92 for Privilege Leave for an officer of a Civil Court or a member of the staff	02-Jan-18
Sanction of Privilege Leave (PL) during the strike period	30-Oct-18
Leave encashment benefit to Government servants	19-Mar-21
Leave encashment benefit to Government servants	19-Mar-21
Encashment of unutilized Privilege Leave at the time of Retirement to a Government Servant	21-Jan-22
Calculation of Gratuity and Cash payment in lieu of unutilized privilege leave in respect of State Government employees retired during the period from January,2020 to June, 2021.	11-Mar-22

(इस टेबल में उपलब्ध अधिसूचना/परिपत्र/आदेश का विषय एवं उसकी दिनांक का हाईपर लिंक दिया जा रहा है, यूजर आवश्कतानुसार इसका उपयोग कर सकता है।)